न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्याः 59 / 2018 RCMS No.—2018/00116

1.रामदास माहेश्वरी
2. अशोक कुमार माहेश्वरी
} पुत्रान श्री रामराय माहेश्वरी, जाति महाजन, निवासी 69, धूलेश्वर गार्डन, जयपुर।

...अपीलांटस

बनाम

1. श्री कालूराम पुत्र स्व. श्री पेमाराम तथाकथित उर्फ लाल्या
2. श्रीमति मीरा
3. श्रीमति प्रेम
4. श्रीमति संतरा
5. श्री रमेश
6. श्री ओमप्रकाश

पुत्रान स्व. श्री सुजाराम

7. श्रीमति विमला धर्मपत्नि स्व. श्री भगवान सहाय
8. श्री दिनेश
9. श्री महेन्द्र

पुत्रान स्व. श्री भगवान सहाय

10. श्रीमति मांगी पुत्री स्व. पेमाराम तथाकथित उर्फ लाल्या

समस्त जाति रैगर, निवासी ग्राम ठिकरीया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

11. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

.....रेस्पाडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व नामान्तकरण संख्या 518 दिनांक 03.08.2018 उप तहसीलदार बगरू अर्थात तहसील सांगानेर।

उपस्थितः–

1. श्री संजय शर्मा अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से।
2. श्री रामगोपाल अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट्स संख्या 1 लगायत 10 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 09.08.2019

अपीलांट ने यह अपील उप तहसीलदार, बगरू के निर्णय दिनांक 03.08.2018 जिससे नामान्तरकरण संख्या 518 वाक़े ग्राम ठीकरिया, तहसील सांगानेर रेस्पाडेन्ट्स के नाम खोला जाने से असंतुष्ट होकर 31.08.2018 को प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्टस जारी करने तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब करने के आदेश दिये गये। रेस्पाडेन्ट संख्या 1 लगायत 10 की ओर से अधिवक्ता श्री रामगोपाल उपस्थित आये। रेस्पाडेन्ट संख्या– 11 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण प्राप्त होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर बहस उपस्थित अभिभाषक सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, बगरू द्वारा पारित निर्णय

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

दिनांक 03.08.2018 नामान्तकरण संख्या 518 विधि विधान एवं पत्रावली तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। अपीलाधीन नामान्तकरण स्वीकृत करने से पूर्व पटवारी हल्का तथा भू अभिलेख निरीक्षक एवं उपतहसीलदार बगरू ने विवादित भूमि के संबंध में न तो मौका मुआयना किया और ना ही अपने पास उपलब्ध राजस्व भू अभिलेखो का अवलोकन किया। ग्राम ठीकरिया, तहसील सांगानेर स्थित भूमि खसरा नंबर 652 रकबा 0.46 हैक्टेयर जो कि साबिक खसरा नंबर 280 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा में से बने है को उसके अभिलिखित खातेदार काश्तकार लाल्या पुत्र रामदेव जाति रैगर ने वर्ष 1990 में जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र यूनिवर्सल ऑटो सर्विसेज को विक्रय कर दिया और उक्त विक्रय पत्र के आधार पर भूमि विवादग्रस्त की खातेदारी दिनांक 06.02.1990 को नामान्तकरण संख्या 58 के द्वारा सहायक भू अभिलेख अधिकारी ने केता मैसर्स यूनिवर्सल ऑटो सर्विसेज के नाम अंकित कर दिया। उक्त नामान्तकरण संख्या 58 का तत्कालीन जमाबंदी में अंकन हो जाने के उपरांत भी तहसील कर्मचारियो की लापरवाही से विवादग्रस्त भूमि विकेता लाल्या के नाम निरतंर रही जिसका अनुचित लाभ उठाकर रेस्पाडेन्ट्स ने अपीलाधीन नामान्तकरण स्वीकृत करवा लिया। रेस्पाडेन्ट्स के तथाकथित पूर्वज स्व. लाल्या ने मैसर्स यूनिवर्सल ऑटो सर्विसेज को विवादित भूमि का बेचान किया जिसके आधार पर केता के नाम नामान्तकरण संख्या 58 स्वीकृत कर उसका नोट आधार वर्ष की जमाबंदी में अंकित कर दिया और उसके 3 वर्ष पश्चात दिनांक 10.06.1993 को अपीलार्थीगण ने विवादित भूमि को दो अलग–अलग पंजीकृत विक्रय पत्रो के माध्यम से क्रय कर लिया और उक्त विक्रय पत्रो के आधार पर दिनांक 22.08.1996 को तहसीलदार ने अपीलार्थीगण के नाम नामान्तकरण संख्या 87 स्वीकृत कर उसका अंकन भी आधार वर्ष की जमाबंदी में कर दिया। अपीलार्थीगण के नाम संशोधित पर्चा लगान व पर्चा खतौनी भू प्रबंधन विभाग द्वारा जारी कर दिया जिनके पश्चात अपीलार्थीगण आश्वस्त हो गये कि रेस्पाडेन्ट्स के हकपूर्वाधिकारी लाल्या पुत्र रामदेव से क्रय की भूमि उनकी खातेदारी में दर्ज हो चुकी है। जबकि अपीलांट्स द्वारा क्रय की गयी भूमि उनकी खातेदारी एवं कब्जे काश्त में आज भी मौजूद है एवं उक्त वर्णित नामान्तकरण संख्या 87 भी पूर्णतया प्रभाव में है लेकिन उसके बावजूद भी खातेदार के कॉलम में लाल्या का नाम निरन्तर अंकित होने का अनुचित लाभ उठाकर रेस्पाडेन्ट्स ने आपस में षड्यन्त्र कर अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक करवा लिया। रेस्पा0 संख्या 1 लगायत 10 वास्तविकता में लाल्या उर्फ रामदेव रैगर के विधिक उत्तराधिकारी है या नहीं यह भी संदेहजनक है। रेस्पा0 के पिता का नाम पेमा उर्फ लाल्या होना जाहिर करते हुए अपीलाधीन नामान्तकरण अपने नाम अंकित करवाया है जो अपीलांट्स की भूमि को हडपने के उद्वेश्य से की गई कार्यवाही है। अपीलाधीन नामान्तकण स्वीकृत करवाने से पूर्व रेस्पाडेन्ट्स ने ग्राम पंचायत ठीकरिया से एक कुर्सीनामा दिनांक 05.04.2018 को बनवाया व शपथ पत्र के आधार पर दिनांक 06.03.2018 को एक मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु से जारी करवाया जिसमें लाल्या उर्फ पेमाराम की मृत्यु दिनांक 18.11.2002 अंकित है, यदि लाल्या उर्फ प्रेमा एक ही व्यक्ति है जो विगत 16 वर्षो में नामान्तकरण रेस्पाडेन्ट्स

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

द्वारा क्यों नही खुलवाया गया। राजस्व अधिकारी एवं कर्मचारियो द्वारा खसरा नंबर 652 को अपीलांट्स के नाम जमाबन्दी में इन्द्राज नहीं किया जाने से विवादित भूमि अपीलांट्स के खाते से अलग होकर स्वतंत्र जमाबन्दी में विक्रेता/पूर्व खातेदार लाल्या उर्फ प्रेमाराम के नाम ही अंकित कर दिया जिसकी जानकारी होने पर अपीलांट्स ने न्यायालय उपखंड अधिकारी सांगानेर के समक्ष उक्त त्रुटि दुरूस्ती बाबत धारा 136 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर दिया जिसके विचारण के दौरान अपीलाधीन नामान्तकरण की जानकारी हुई। अपीलाट्स अपीलाधीन भूमि के विधिक क्रेता है एवं रेस्पा0 ने राजस्व कर्मचारियो से साजकर षड्यन्त्रपूर्वक विरासत का नामान्तकरण तस्दीक करवाया है न्यायोचित नहीं है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 518 दिनांक 03.08.2018 निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट्स के नाम पूर्व में स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 87 का जमाबंदी में अंकन किये जाने के निर्देश उप तहसीलदार बगरू को प्रदान किये जावे। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपने कथन के संदर्भ में न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.डी 1979 पेज़ 1, आर.आर.डी 2016 पेज 14, आर.आर.डी. 2017 पेज 640 पेश किए गए।

दौराने बहस रेस्पाडेन्ट संख्या–एक ल. दस की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने दलील दी कि अपीलाधीन नामान्तरकरण विवादित भूमि के खातेदार पेमाराम उर्फ लाल्या पुत्र रामदेव के फौत होने पर सरपंच ग्राम पंचायत ठीकरिया के सजरा अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विरासत के आधार पर भरा जाकर स्व. पेमाराम उर्फ लाल्या के वारिसान पक्ष में स्वीकार किया गया है, इसमें कोई गलती अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई है। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट ने यह भी दलील दी कि अपीलाधीन नामान्तरकरण जिस दिन स्वीकार किया है, उस दिन किसी न्यायालय का स्थगन आदि भी विवादित भूमि पर नहीं था। विवादित भूमि के खातेदार रेस्पा0 के पूर्वज पेमाराम उर्फ लाल्या है एवं उनके फौत होने पर उनके वारिसान के हक में नामान्तकरण तस्दीक किया गया है, जो विधि के प्रावधानो के अनुसार उचित है। विवादित भूमि के संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगानेर में घोषणा का वाद विचाराधीन है। नामान्तरकरण जैसी फिसकल प्रोसीडिंग्स में किसी के हक व अधिकार सुनिश्चित नहीं किये जा सकते है। अपील अपीलांट सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपने कथन के संदर्भ में न्यायिक दृष्टान्त 2012 (1)आर.आर.टी 520, 2011 (2)आर. आर.टी 1264, 2001 आर.आर.डी 56, 1995 आर.आर.डी 56, 1985 आर.आर.डी 170 पेश किए गए।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण विरासत के आधार पर रेस्पाडेन्ट संख्या 1 ल. 10 के पक्ष में भरा जाकर स्वीकार किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने विरासत के आधार पर खातेदार की मृत्यु होने पर नामान्तरकरण स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की है। अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

विद्वान उपस्थित अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। पत्रावली का मय अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त नामान्तरकरण के आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त नामान्तरकरणं संख्या 518 ग्राम ठीकरिया, तहसील सांगानेर के अवलोकन से जाहिर है कि उक्त नामान्तरकरण खातेदार पेमाराम उर्फ लाल्या पुत्र रामदेव के फौत होने पर ग्राम पंचायत के वार्ड पंचो की पुष्टि के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा दर्ज कर पेश किया गया। खातेदार के वारिसान की पुष्टि के आधार पर रेस्पाडेन्ट संख्या–1 ल. 10 के हक में उप तहसीलदार बगरू द्वारा स्वीकृत किया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 518 के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण में अपीलाधीन भूमि के खातेदार के वारिसान की जांच विधिक प्रावधानो अनुसार नहीं की गई। वकील अपीलांट द्वारा पेश नामान्तकरण संख्या 87 तस्दीक दिनांक 22.08.1996 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन भूमि खसरा नंबर 652 वाके ग्राम ठीकरिया तहसील सांगानेर अपीलांट्स द्वारा कय किया गया था। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन से अपीलांट्स द्वारा भूमि खसरा नंबर 652 वाके ग्राम ठीकरिया कय किया जाना जाहिर होता है। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 518 जो कि विरासत के आधार पर तस्दीक किया गया है जिसमें भी आराजी खसरा नंबर 652 वर्णित है। दौराने बहस वकील पक्षकारान ने पक्षकारान के मध्य घोषणा का वाद सक्षम न्यायालय में अपने हक,हकूक, अधिकार प्राप्त किये जाने हेतु विचाराधीन होने का कथन किया गया है। नामान्तकरण तस्दीक किये जाने से पूर्व अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर दिया जाना स्पष्ट नहीं होता है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, बगरू द्वारा नामान्तकरण संख्या 518 वाके ग्राम ठीकरिया पर पारित निर्णय दिनांक 03.08.2018 को निरस्त करते हुये पत्रावली तहसीलदार सांगानेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित **(Remand)** की जाती है कि प्रकरण में अपीलांट एवं रेस्पाडेन्ट्स की सुनवाई की जाकर, अपीलांट व रेस्पाडेन्ट्स को साक्ष्य, सबूत दस्तावेज प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये, यदि किसी न्यायालय से स्थगन आदेश आदि है तो उसे मध्यनजर रखते हुये गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की मिसल लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.08.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(इकबाल)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर

(इकबाल खान)
अति. जिला कलक्टर–प्रथम
कलेक्ट्रेट, जयपुर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्याः 59/2018 RCMS No.—2018/00116

1.रामदास माहेश्वरी
2. अशोक कुमार माहेश्वरी
} पुत्रान श्री रामराय माहेश्वरी, जाति महाजन, निवासी 69, धूलेश्वर गार्डन, जयपुर।

...अपीलांटस

बनाम

1. श्री कालूराम पुत्र स्व. श्री पेमाराम तथाकथित उर्फ लाल्या
2. श्रीमति मीरा
3. श्रीमति प्रेम
4. श्रीमति संतरा
5. श्री रमेश
6. श्री ओमप्रकाश

पुत्रान स्व. श्री सुजाराम

7. श्रीमति विमला धर्मपत्नि स्व. श्री भगवान सहाय
8. श्री दिनेश
9. श्री महेन्द्र

पुत्रान स्व. श्री भगवान सहाय

10. श्रीमति मांगी पुत्री स्व. पेमाराम तथाकथित उर्फ लाल्या

समस्त जाति रैगर, निवासी ग्राम ठिकरीया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

11. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

.....रेस्पाडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व नामान्तकरण संख्या 518 दिनांक 03.08.2018 उप तहसीलदार बगरू अर्थात तहसील सांगानेर।

उपस्थितः–

1. श्री संजय शर्मा अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से।
2. श्री रामगोपाल अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट्स संख्या 1 लगायत 10 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 09.08.2019

अपीलांट ने यह अपील उप तहसीलदार, बगरू के निर्णय दिनांक 03.08.2018 जिससे नामान्तरकरण संख्या 518 वाक़े ग्राम ठीकरिया, तहसील सांगानेर रेस्पाडेन्ट्स के नाम खोला जाने से असंतुष्ट होकर 31.08.2018 को प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्टस जारी करने तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब करने के आदेश दिये गये। रेस्पाडेन्ट संख्या 1 लगायत 10 की ओर से अधिवक्ता श्री रामगोपाल उपस्थित आये। रेस्पाडेन्ट संख्या– 11 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण प्राप्त होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर बहस उपस्थित अभिभाषक सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, बगरू द्वारा पारित निर्णय

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

दिनांक 03.08.2018 नामान्तकरण संख्या 518 विधि विधान एवं पत्रावली तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। अपीलाधीन नामान्तकरण स्वीकृत करने से पूर्व पटवारी हल्का तथा भू अभिलेख निरीक्षक एवं उपतहसीलदार बगरू ने विवादित भूमि के संबंध में न तो मौका मुआयना किया और ना ही अपने पास उपलब्ध राजस्व भू अभिलेखो का अवलोकन किया। ग्राम ठीकरिया, तहसील सांगानेर स्थित भूमि खसरा नंबर 652 रकबा 0.46 हैक्टेयर जो कि साबिक खसरा नंबर 280 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा में से बने है को उसके अभिलिखित खातेदार काश्तकार लाल्या पुत्र रामदेव जाति रैगर ने वर्ष 1990 में जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र यूनिवर्सल ऑटो सर्विसेज को विक्रय कर दिया और उक्त विक्रय पत्र के आधार पर भूमि विवादग्रस्त की खातेदारी दिनांक 06.02.1990 को नामान्तकरण संख्या 58 के द्वारा सहायक भू अभिलेख अधिकारी ने क्रेता मैसर्स यूनिवर्सल ऑटो सर्विसेज के नाम अंकित कर दिया। उक्त नामान्तकरण संख्या 58 का तत्कालीन जमाबंदी में अंकन हो जाने के उपरांत भी तहसील कर्मचारियो की लापरवाही से विवादग्रस्त भूमि विक्रेता लाल्या के नाम निरतंर रही जिसका अनुचित लाभ उठाकर रेस्पाडेन्ट्स ने अपीलाधीन नामान्तकरण स्वीकृत करवा लिया। रेस्पाडेन्ट्स के तथाकथित पूर्वज स्व. लाल्या ने मैसर्स यूनिवर्सल ऑटो सर्विसेज को विवादित भूमि का बेचान किया जिसके आधार पर क्रेता के नाम नामान्तकरण संख्या 58 स्वीकृत कर उसका नोट आधार वर्ष की जमाबंदी में अंकित कर दिया और उसके 3 वर्ष पश्चात दिनांक 10.06.1993 को अपीलार्थीगण ने विवादित भूमि को दो अलग–अलग पंजीकृत विक्रय पत्रो के माध्यम से क्रय कर लिया और उक्त विक्रय पत्रो के आधार पर दिनांक 22.08.1996 को तहसीलदार ने अपीलार्थीगण के नाम नामान्तकरण संख्या 87 स्वीकृत कर उसका अंकन भी आधार वर्ष की जमाबंदी में कर दिया। अपीलार्थीगण के नाम संशोधित पर्चा लगान व पर्चा खतौनी भू प्रबंधन विभाग द्वारा जारी कर दिया जिनके पश्चात अपीलार्थीगण आश्वस्त हो गये कि रेस्पाडेन्ट्स के हकपूर्वाधिकारी लाल्या पुत्र रामदेव से क्रय की भूमि उनकी खातेदारी में दर्ज हो चुकी है। जबकि अपीलांट्स द्वारा क्रय की गयी भूमि उनकी खातेदारी एवं कब्जे काश्त में आज भी मौजूद है एवं उक्त वर्णित नामान्तकरण संख्या 87 भी पूर्णतया प्रभाव में है लेकिन उसके बावजूद भी खातेदार के कॉलम में लाल्या का नाम निरन्तर अंकित होने का अनुचित लाभ उठाकर रेस्पाडेन्ट्स ने आपस में षड्यन्त्र कर अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक करवा लिया। रेस्पा0 संख्या 1 लगायत 10 वास्तविकता में लाल्या उर्फ रामदेव रैगर के विधिक उत्तराधिकारी है या नहीं यह भी संदेहजनक है। रेस्पा0 के पिता का नाम पेमा उर्फ लाल्या होना जाहिर करते हुए अपीलाधीन नामान्तकरण अपने नाम अंकित करवाया है जो अपीलांट्स की भूमि को हडपने के उद्वेश्य से की गई कार्यवाही है। अपीलाधीन नामान्तकण स्वीकृत करवाने से पूर्व रेस्पाडेन्ट्स ने ग्राम पंचायत ठीकरिया से एक कुर्सीनामा दिनांक 05.04.2018 को बनवाया व शपथ पत्र के आधार पर दिनांक 06.03.2018 को एक मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु से जारी करवाया जिसमें लाल्या उर्फ पेमाराम की मृत्यु दिनांक 18.11.2002 अंकित है, यदि लाल्या उर्फ प्रेमा एक ही व्यक्ति है जो विगत 16 वर्षो में नामान्तकरण रेस्पाडेन्ट्स

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

द्वारा क्यों नही खुलवाया गया। राजस्व अधिकारी एवं कर्मचारियो द्वारा खसरा नंबर 652 को अपीलांट्स के नाम जमाबन्दी में इन्द्राज नहीं किया जाने से विवादित भूमि अपीलांट्स के खाते से अलग होकर स्वतंत्र जमाबन्दी में विकेता/पूर्व खातेदार लाल्या उर्फ प्रेमाराम के नाम ही अंकित कर दिया जिसकी जानकारी होने पर अपीलांट्स ने न्यायालय उपखंड अधिकारी सांगानेर के समक्ष उक्त त्रुटि दुरूस्ती बाबत धारा 136 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर दिया जिसके विचारण के दौरान अपीलाधीन नामान्तकरण की जानकारी हुई। अपीलाट्स अपीलाधीन भूमि के विधिक क्रेता है एवं रेस्पा0 ने राजस्व कर्मचारियो से साजकर षड्यन्त्रपूर्वक विरासत का नामान्तकरण तस्दीक करवाया है न्यायोचित नहीं है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 518 दिनांक 03.08.2018 निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट्स के नाम पूर्व में स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 87 का जमाबंदी में अंकन किये जाने के निर्देश उप तहसीलदार बगरू को प्रदान किये जावे। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपने कथन के संदर्भ में न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.डी 1979 पेज़ 1, आर.आर.डी 2016 पेज 14, आर.आर.डी. 2017 पेज 640 पेश किए गए।

दौराने बहस रेस्पाडेन्ट संख्या–एक ल. दस की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने दलील दी कि अपीलाधीन नामान्तरकरण विवादित भूमि के खातेदार पेमाराम उर्फ लाल्या पुत्र रामदेव के फौत होने पर सरपंच ग्राम पंचायत ठीकरिया के सजरा अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विरासत के आधार पर भरा जाकर स्व. पेमाराम उर्फ लाल्या के वारिसान पक्ष में स्वीकार किया गया है, इसमें कोई गलती अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई है। दौराने बहस विंद्वान अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट ने यह भी दलील दी कि अपीलाधीन नामान्तरकरण जिस दिन स्वीकार किया है, उस दिन किसी न्यायालय का स्थगन आदि भी विवादित भूमि पर नहीं था। विवादित भूमि के खातेदार रेस्पा0 के पूर्वज पेमाराम उर्फ लाल्या है एवं उनके फौत होने पर उनके वारिसान के हक में नामान्तकरण तस्दीक किया गया है, जो विधि के प्रावधानो के अनुसार उचित है। विवादित भूमि के संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगानेर में घोषणा का वाद विचाराधीन है। नामान्तरकरण जैसी फिसकल प्रोसीडिंग्स में किसी के हक व अधिकार सुनिश्चित नहीं किये जा सकते है। अपील अपीलांट सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपने कथन के संदर्भ में न्यायिक दृष्टान्त 2012 (1)आर.आर.टी 520, 2011 (2)आर. आर.टी 1264, 2001 आर.आर.डी 56, 1995 आर.आर.डी 56, 1985 आर.आर.डी 170 पेश किए गए।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण विरासत के आधार पर रेस्पाडेन्ट संख्या 1 ल. 10 के पक्ष में भरा जाकर स्वीकार किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने विरासत के आधार पर खातेदार की मृत्यु होने पर नामान्तरकरण स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की है। अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम),
जयपुर

विद्वान उपस्थित अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। पत्रावली का मय अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त नामान्तरकरण के आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त नामान्तरकरणं संख्या 518 ग्राम ठीकरिया, तहसील सांगानेर के अवलोकन से जाहिर है कि उक्त नामान्तरकरण खातेदार पेमाराम उर्फ लाल्या पुत्र रामदेव के फौत होने पर ग्राम पंचायत के वार्ड पंचो की पुष्टि के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा दर्ज कर पेश किया गया। खातेदार के वारिसान की पुष्टि के आधार पर रेस्पाडेन्ट संख्या–1 ल. 10 के हक में उप तहसीलदार बगरू द्वारा स्वीकृत किया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 518 के अवलोकन से जांहिर होता है कि प्रकरण में अपीलाधीन भूमि के खातेदार के वारिसान की जांच विधिक प्रावधानो अनुसार नहीं की गई। वकील अपीलांट द्वारा पेश नामान्तकरण संख्या 87 तस्दीक दिनांक 22.08.1996 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन भूमि खसरा नंबर 652 वाके ग्राम ठीकरिया तहसील सांगानेर अपीलांट्स द्वारा कय किया गया था। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन से अपीलांट्स द्वारा भूमि खसरा नंबर 652 वाके ग्राम ठीकरिया कय किया जाना जाहिर होता है। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 518 जो कि विरासत के आधार पर तस्दीक किया गया है जिसमें भी आराजी खसरा नंबर 652 वर्णित है। दौराने बहस वकील पक्षकारान ने पक्षकारान के मध्य घोषणा का वाद सक्षम न्यायालय में अपने हक,हकूक, अधिकार प्राप्त किये जाने हेतु विचाराधीन होने का कथन किया गया है। नामान्तकरण तस्दीक किये जाने से पूर्व अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर दिया जाना स्पष्ट नहीं होता है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, बगरू द्वारा नामान्तकरण संख्या 518 वाके ग्राम ठीकरिया पर पारित निर्णय दिनांक 03.08.2018 को निरस्त करते हुये पत्रावली तहसीलदार सांगानेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित **(Remand)** की जांती है कि प्रकरण में अपीलांट एवं रेस्पाडेन्ट्स की सुनवाई की जाकर, अपीलांट व रेस्पाडेन्ट्स को साक्ष्य, सबूत दस्तावेज प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये, यदि किसी न्यायालय से स्थगन आदेश आदि है तो उसे मध्यनजर रखते हुये गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की मिसल लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.08.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(इकबाल)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर

(इकबाल खान)
अति. जिला कलक्टर–प्रथम
कलेक्ट्रेट, जयपुर